Telephone: 23411956

23412990

## OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

9th Floo	or Mayur B	hawan, New Delhi-11(	0001
No. PFRC/98 Coord/DL/ 3133	Coverage/	126	Regd. A.D.
To M/s MICK	TO MAX TST P	Informations when Maga	Dated the:
Sub. : Applicability of the Employ the Schemes framed thererunder t	ees' Provid	ent Funds & Mescellane	eous Provisions Act. 1052 and
Dear Sirs.			y THIS
(a) Your establishment/factor is included in schedule 1/classess Provisions Act, 1952.	y viz M/sf of establish	The Enforcement Of the Enforcement Of the Enforcement in Employees' Prov	gaged in Torce 11 h L Chrism rident Funds and Miscellanous
(b) tha the said establishment/	factory has	employed3.2	persons on 1 - 12
(c) that it has completed the Employees' Provident Funds & I thereunder are applicable to your branches/departments whether from	Miscellaned r above nan situated at	us Provisions Act. 19 ned establishment toge the same place or at	ther with head office and its
Wth reference to your application. DL/on Ad not effect the original applicability parent unit for all purpose (damage	ministrative of the estab	ground w.e.flishment and it will be tr	eated as part and parcel of the
is hereby alloted to your establishment with effect from	ferred on the second in the se	tion 1(4) of the said Act, ely DL/	inprovisionally covering your ification by the Govenment of Section 1 of the E.P.F. & Misc.  purpose of making compliance 152 and the Schemes framed ne, 1995 and Deposit Linked the correspondences with this 150% of basic wages, dearness
employee every month. The contrib payable by the employer.	oution payal	le by the employee sha	If be equal to the contribution
I. The contribution shall be c during the whole month whether pa	alculated o	n the basic wages dea weekly, fortnightly or n	rness allowance etc. payable nonthly basis.

II. each contribution shall be calculated to the nearest rupee i.e. 50 paise or more to be counted as the next higher rupee, and fraction of a rupee less than 50 paise to be ignored.

III for the nurnoco of coloulation of a new transfer of

## क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय 9 वां तल मयूर भवन कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

संख्या	:	पी.	एफ.	आर.	सी/98	समन्वय	(डीएल/	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	./आवृति	· 3 . · <		पंजीकृत	सपावर्ती
भोतार प्रे								. *		er er	दिनांक		*******

	7 61 AUT (11) 00 (14)		/ 3119	-	पजाकृत सपावत
ं सेवा में,				दिनाक	0+4+5) (003460464644444444444444
state sty	<del>प्रेजंर्ज</del>	e.	į į	1 /*	2
	मेसर्स.	77/11/19	applications with	( 3 F 3 F 4 1 )	
•	2 8 4 6 9 4 4 9 4 9 5 5 6 4 4 9 9	300. 3 5	**************************************	was all	
	***************************************	10. 10. 1	erenenekerek Jahran	711 A	
	***************************************	***************************************		11	
विषय : कर्मच	ारी भविष्य निधि और प्र	्र <i>ार</i> कीर्णसम्बद्धाः अ	டு <del>ப</del> ொரு 1050 உ	ी भेज जनाचे जंबनीय क	· · · · · · · · · · · ·
***********		4/1-1 044-4 01	4 144, 1952 9 	ार उसक असगत शह	रत स्कामा का मसस
महोदय,	***************************************		2 (4)	पर खानू लगा।	
- आपक । <del> </del>	द्वारा दिनांक द्वारा	की	प्रेषित विवरण के उ	गधार पर आहे आपकी	रथापना का भविष्य
ानाच ।नराक्षक }	द्वारा	की कि	<b>ग्ए गए निरीक्षक</b> व	हे आधार पर स्पष्ट हो	ता है कि :
(क) आ	पकी रथापना फैक्टरी अ	र्थात मैसर्स	***********	*******************	*****************
(1) (3.1.1.3.1.).		जो	कि कमचारी भा	वेष्य निधि और प्रकीण	ि उपबन्ध अधिनियम
1 1502 M KAN	भनाओं का श्राणया/अनु	सूचा-ा म शामित	T	कार्य भे	िलगीहर्डहै।
্ ্ (ख) ব	क्त स्थापना फैक्टरी में	दिनांक	***************************************	តា	व्यक्ति
ि कार्यरत हैं।	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				2
(ग) इस	ने कर्मचारी भविष्य निधि	और प्रकीर्ण उप	बन्ध अधिनियमः 1	952 की धारा 16 (1).	(ख) के ज्यानकों के
अन्तर्गत		3 वर्ष की	ी प्रारम्भिक अवधि	परी कर ली है। अ	(अ) पर उपपन्या पर तिः कर्मचारी भनिष्य
निधि और प्रकी	र्ण उपबन्ध अधिनियम, ।	1952 और उसके	अंतर्गत रचित स्व	ीमों, उपरोक्त नामित	रथापना दसके मरुग
कार्यालय और	इसकी शाखाओं/विभाग	ों पर, चाहे वे ए	क रथान पर हैं अ	थवा विभिन्न स्थानों प	₹ \$
तारीख से अस	थायी/स्थायी रूप से ला	गू है, इसके अति	तेरिक्त आपके पूर्व	रिकार्डों की जांच अ	ी की जाएगी।
आपके उ	गवेदन पत्र सं	दिनांक	;	के सन्दर्भ में आपको प	भागनिक शाधाव एव
कोड सं. डी ए	ल/दिनांक से	आं	वरित किया जाता	है। कपया नोट कर लें	कि दससक स्थापन
की मूल आवृति	। प्रभावित नहीं होगी औ	र इसे सभी प्रयत	जनों (क्षतिमंत्य अ	दि) के लिए मल यनि	ट का अनिवार्य अंग
माना जाएगा।.	से	तक की	अवधि का कर्मच	ारी का हिस्सा नहीं छे	ख्या जाएगा। डि. जाएगा।
	म धारा 1 (4) के अंतर्गत		\$2.5 A.2.	and the second s	and the second of the second o
आपकी रथापन	ा पर लागू करने के <b>वि</b>	लेए आपके थाने	्तर प्रशासास जापा देन धेर्न संस्था	च्याचाम् अपग्रण छप्रवन् जिञ्चांत्र	प, आधान्तयमः। ५५.
सन्दर्भ में आप	की स्थापना अर्थात	TO SEE	को कोड गंग्या	પશાળ:	क विकास
			400 (1041.		ाकार ।कवा जा ४ही

- है। अभी आपकी स्थापना को कार्यक्षेत्र में अस्थायी रूप से.....से लाया जा रहा है, तब तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा एउपधारा-4 द्वौरा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार अधिनियम जारी नहीं कर देती।
- 2. आपकी स्थापना को कोड नम्बर डी.एल......कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबन्ध अधि ानियम, 1952 और उसके अंतर्गत रचित रकीमों अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि रकीम, 1952 पेंशन रकीम, 1952 और निक्षेप सहवद्व बीमा स्कीम, 1976 के विभिन्न उपबन्धों के अनुपालन के लिए आवंटित किया गया है। यह कोड नम्बर इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्य रूप से उद्धृत किया जाना चाहिए।
- 3. नियोक्ता द्वारा देय अंशदान को दर मूल वेतन, मंहगाई भत्ता (किसी भी खाय रियायत के नकद मूल्य सहित) और निर्वाह भत्ता यदि कोई है, प्रत्येक कर्मचारी को......प्रतिशत की दस से प्रतिमाह देय होगा। कर्मचारी द्वारा देय अंशदान का दर नियोक्ता द्वारा देय के समान होगी।

। अंशदान की संगण्ना पूरे माह के दौरान मिलने वाले मूल वेतन, महगाई भत्ता आदि, चाहे भुगतान दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक आधार पर किया गया हो, की जाएगी।

॥ अंशदान की सगणना नजदीकी रुपये में अर्थात 50 पैसा या अधिक को एक रुपये में तथा 50 से कम पैसे को छोडकर की जाएगी।

wages which together with your own contribution and administrative charges shall be paid within 15 days of the close of every month in the Accounts of the Fund maintained by the State Bank of India by challans in the following manner:

(a) E.P.F. contribution

To be deposited in E.P.F. A/c.No. 1

(b) Administrative charges

To be deposited in E.P.F. A/c.No. 2

(c) E.P.S.

To be deposited in Employees, Pension A/c No. 10.

Note (1) The rate of administrative charges 1-10% w.e.f. 1-8-98 subject to a minimum of Rs. 5/- of pay baisc wages, dearness allowance including cash value of any food-concession and retaining allowance, if any.

- (ii) If may be noted that if timely deductions are not made from the member's wages, the employer will have to pay both the shares himself, as the recovery of arrear, contributions for the back period from the subsequent wages of the employee's is prohibited except when such recovery could not be made at the appropriate time dut eo accidental mistake or clerical error.
- (iii) The Employees' Pension Scheme 95 will be applicable from prospective the date of coverage.

Besides making deposits in A/c. No. 1, 2 and 10 as explained above, you are also required to deposit the contributions and Admn. Charges in Account No. 21 and 22 under the employee's Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, in the manner indicated below within 15 days of the close of each month.

(1) Deposit-Link Insurance Fund A/c. No. 21

To this account contributions will be deposited @ 0.5% which will be aggregate the basic wages, dearness allowance including cash value of food concession and retaining allowance if any, payable to the employees by employer.

(2) Depoist-Linked Insurance Fund

To this account will be deposited the administration charges @ 0.01% (w.e.f. 1-10-87) subject to a minimun of Rs. 2 which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including the cash value of food concession are retaining allowance) if any, payable to the employees by an employer Prior to this the rate was 0.1%.

The deposit in the above accounts, viz. 1,2,10.21 and 2 are to be made by separate challans and triplicate copies of the challans as received from the Bank, should be forwarded to this office duly attached with From to 12A (Revised) (explained below).

You are required to maintain/forward the following returns :-

Form No. 9 Revised under the E.P.F.Scheme 1952 & E.P. Scheme 1995

This is to be submitted to this office once in respect of those employees who are required, or entitled, to become members on the date the facory/establishment is covered under the scheme.

(ii) Form No. 2 under the E.P.F. Scheme 1952 and also under the E.P. Scheme 1995 These are to be obtained in duplicate form every member for submission to this office.

(iii) Form No. 5-A

This is to be submitted to this office in duplicate. Any subsequent change in ownership is also to be notified to this office through this form.

(iv) Form No. 3-A

This is to be maintained at the factory/ establishement, in respect of every employee who is a member, in which the contribution paid to the P.F. are to be posted every month.

(v) Form No. 6-A

This is a annual return of contribution and is to be submitted to this office with in 30 days of the close of the financial year, along with from 3A (Last contribution to be shown for Feb. payable in March each year).

4. सदस्य की वेतन दन सं पूर्व आपके लिए यह आवश्यक होगा कि आप उसके वेतन से अनिवार्य रूप से अंहाँदान कार्ट और अपने अंशदान तथा प्रशासकीय प्रभार की राशि सहित प्रत्येक मास की 15 तारीख तक भारतीय स्टेट बैंक में निधि के लेखों में संबंधित चालनों द्वारा निम्नलिखित रूप से जमा करायें। (क) क.भ.नि. अंशदान...... क.भ.नि. लेखा सं. 1 में जमा कराया जाए। (ख) प्रशासकीय प्रशार...... क.भ.नि. लेखा सं 2 से जमा कराया जाए। (ग) कर्मचारी पेंशन अंशदान...... क.प.सं. लेखा सं. 10 में जमा कराया जाए। टिप्पणी : (1) प्रशासकीय प्रभार की दर 1.8.98 वेतन, मूल वेतन, महगाई भत्ता जिस खाद्य मूल्य में किसी प्रकार की रियायत और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोर है, का 1.10 प्रतिशत है जो न्यूनतम 5 रुपए है। (11) कृपया इन बात को नोट किया जाए कि यदि सदस्य के वेतन से समय पर कटौती नहीं की जाती तो नियोक्ता को दोनों के भाग राशि स्वयं जमा करानी होगी, क्योंकि कर्मचारी के बाद के वेतन से पहले के बकाया अंशदान की कटौती निषेध है केवल उन मामलों को छोड़कर जहां ये वसूली समय पर अकरमात गलती अथवा लिपिकीय गलती के कारण नहीं हों सकी। 5. उल्लिखित लेखा संख्या 1, 2 और 10 से जमा कराने के अतिरिक्त आपने यह भी अपेक्षित है कि आप कर्मचारी निक्षेप सहवद्ध बीमा स्कीम 1976 के अन्तर्गत अंशदान और प्रशासन प्रभार लेखा संख्या 21 और 22 में प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर निम्नलिखित रूप से जमा करायें। (1)निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा संख्या 21 इस लेखे में अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाला मूल वेतन, महगाई भत्ता, जिसमें खा मूल्य रियायत और परतिधारण भत्ता यदि कोई है, कुल राशि की 0.5 प्रतिशत होगी। (11) क्षेत्रीय बीमा निधि प्रशासकीय लेखा संख्या 22 इस लेखे में प्रशासकीय परभार की दर 1.10.87 से नियोक्तों द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाले मूल वेतन, महगाई भत्ताय जिसमें खाद्य संबंधी रियायत और परतिधारण भत्ता यदि कोई है, की कुल राशि की 0.01 प्रतिशत होगी। जो न्यूनतम 2 रुपये प्रतिमाह है। इससे पूर्व वह दर 0.1 प्रतिशत थी। उपरोक्त लेखों अर्थात 1,2,10,21 और 22 में राशि विभिन्न चाालनों के माध्यम से जमा कराई जाएगी और बैंक से प्राप्त चालानों की तीन प्रतियों फार्म संख्या 12 क (संशोधित) (नीचे उल्लिखित) के साथ इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए, 6. आपसे यह आपेक्षित है कि आप निम्नलिखित रिटर्न तैयार / प्रेषित करें :--(i) क.भ.नि. स्कीम, 1952 तथा कर्मचारी पेंशन यह रिटर्न केवल उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस कार्यालय में स्कीम 1995 के अन्तर्गत फार्म संख्या 9 केवल एक बार जमा करानी होती है जिन्हें फैक्ट्री / स्थापना की रकीम के कार्यक्षेत्र में लाने की तिथि से सदस्य बनाया जान, (संशोधित) अपेक्षित है या सदस्य बनने के पात्र हो गए है। (ii) क.भ.नि. स्कीम और क. पेंशन अंतर्गत फार्म सं. 2 यह फार्म प्रत्येक सदस्य से दो प्रतियों में पर्याप्त कर इस कार्यालय को भेजे जाने चाहिए। (iii) फार्म सं. 5-क यह दो प्रतियों में इस कार्यालय को भेजे जाने चाहिए मालिकों में किसी भी प्रकार का बाद में परिवर्तन आने पर इस फार्म के माध यम से इस कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। (iv) फार्म सं. 3 क यह प्रत्येक सदस्य / कर्मचारी से सम्बन्धित फार्म है जिसे फैक्ट्री रथापना में ही रखा जाना चाहिए। इस फार्म में भ.नि. में किए गए अंशदान की प्रतिमाह प्रविष्ट करनी होती है। (v) फार्म सं. 6--क यह अंशदान की वार्षिक विवरणी हैं और इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिनों के भीतन फार्म 3-क के साथ (फरवरी) माह में सम्बन्धित अन्तिम अंशदान प्रत्येक वर्ष मार्च से अदा किया दिखाया जाना चाहिए) इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।।

(vi) From No. 12-A This is the monthly return of contribution and is  $\kappa$ be submited to this office by 25th of every following month. Triplicate copies of the challans in support of the deposits made in the State Bank of India should be attached with this. (vii) Form No. 5 & 10 These are the returns of employees who have become new member or have left the service in the month and are to be submitted to this office by the 15th of the following months. All the forms prescribed under the Employees Provident Funds Scheme, 1952 the Employees Pension Scheme, 1995, and the Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 are available in the P.F. office and will be supplied free of cost on receipt of your indent. The Speciman of forms are enclosed. Regarding Employees Pension Fund contributions, it should be separated from the Employees Provident Fund contributions and shown separately in the respective Forms and remitted separately in Account No. 10 from the month of \_on wards. As regards E.P.F. and E.D.L.I. dues form the period from..... should be remitted within 15 days from the date of receipt of the coverage notice. In case the employees shown in form 9 (Revised) were the members of the enstablishment's private Provident fund at the commencement of the Scheme, the accumulations in the Provident und standing to their credit should be remitted into the State Bank of India to the credit of the E.P.F. Account No. I through the Prescribed challans and the triplicate copy of the challans sent to this office. All the amounts relating to the Provident Fund accumulations lying invested in securities should be transferred to the E.P.F. within four months by having the Securities transferred to and endorsed in favour of the Central Board of Trusteess, Employees Provident Fund, and the Securities thus transferred should be sent to this office A note containing the instructions in the matter of transfer to these accumulations is enclosed, Cash and hand in relation to the Accounts of the Private Provident Fund should be remitted within 30 days from the receipt of this, communication, failing which damages at the prescribed rates will have to be paid by you on the delayed remittances made in cash after the due date. The receipt of this letter along with its enclosures may kindly be acknowledged. BURNESS CONTRACTOR OF STREET Yours faithfully Assistant/Regional Provident fund Commissioner े अधिक मेरा विकास अधिक अधिक सम्बंध स्टूर्स Ecis: Insutructions regarding implementation of the Employees' Provident Fund Scheme, Employees' Pension Scheme, and Employees' Deposit Linked Insurance Scheme. 2. Instructions regarding allotment of Account Nos. Instructions regarding transfer of provident Fund Accumulations and transfer of securities. Ready Reckoner for calculation of Providnet Fund contributions, Family Pension contribution and Deposit Linked Insurance Contributions. Form 5 A (in triplicate) 5. Frank Copy to : 15 will free savety by the same of \$ may a proving our The Enforcement Officer Shri/Smt......for watching compliance. He/She is requested to obtain 5-A in duplicate in respect of the establishment immediately. He/She is advised to finalise the converage within 45 days as per instructions contained in CPFC's Circular No. E-72/11 (28) 80 PN dates 6-6-81. Accounts Branch (Nehru Place/Gupta Complex, Janak Puri, Laxmi Nagar) R.O. Mayur Bhawan

File No. E/DL/.... R.P.F.C. .....with reference to their letter No.

miantained in the Group with suitable remarks.)

(It is understood that this factory/establishment has/has no previous Provident Fund accumulations to transfer to E.P.F. This may please be noted in the contributions Register

फार्म सं. 12-क ह यह अंशदान का मासिक रिटर्न फार्म है, जिसे त्येक अगले माह की 25 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तत करना होत है। भारतीय स्टेट बैंक में जमा करायी गई राशि से संबंधित चालान की तीसरी प्रतियां इसके साथ संलग्न की जानी चाहिएं। फार्म सं. 5 और 10 यह उन कर्मचारियों से संबंधित रिटर्न है जो माह के दौरान नए सदस्य बनाए जाते हैं या नौकरी छोड़ जाते हैं और इन्हें अगले माह की 15 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है। 7. कर्मचारी भविष्य निधि रकीम, 1952, कर्मचारी पुंशन रकीम 1956 और निक्षेप सहब बीमा रकीम, 1976 से संबंधित सभी निर्धारित फार्म भविष्य कार्यालय में उपलब्ध है और इन्हें नि:शुल्क आपका मांग पत्र प्राप्त होने पर na hagarak kumata kabuta kabun dalingga kabun baran di K लिय जाता है। नमुमा फार्म संलग्ल है। 8. कर्मचारी पेंशन रकीम अंशदान के संबंध में इसे कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान से अलग किया जाना चाहिए की बकाया राशि कवरेज नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर जमा करना होता है। 10. यदि इस रकीम को लागू करते समय फार्म सं० 9 (संशोधन) में दिखाए गए कर्मचारी स्थापना की निजी भविष्य निधि रकीम के सदरय थे तो उनके खाते में जमा भविष्य निधि की राशिस भारतीय रटेट बैंक द्वारा रखे जा रहे कर्मचारी भविष्य निधि लेखा संख्याा में निर्धारित चालानों में जमा करायी जाए और चालान की तीसरी प्रति इ कार्यालय को भेजी जाए। भविष्य निधि की निवेश की गई समस्त राशि से संबंधित सभी प्रति भृतियों का चार माह के अन्दर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के पक्ष में हरतांतरण कर दिया जाए और हरतांतरित की गई इस प्रतिभूतियों को इस कार्यालय को भेज दिया जाए। राशि के अन्तर्गत के संबंध में दिए गए निदेशों से संबंधित नोट ।सलग्न कियाजा रहा है। निजी भविष्य निधि के लेखों में उपलब्ध रोकड़ का इस पत्र को प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अंतरण कर दिया जाए अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद रोकड़ अंतरण करने के लिए आपको निर्धारित दर से शास्तिक <mark>ोंक्सीनी अदी करनी होगी।</mark> विकेश के करका अर्थन करने पहले के कि एक्सिक bethin के एक bluede bawर्र कि block कि की इंटरिय राज करने करनी होगी। कृपया पत्र व अनुलग्नक को पावती भेजें। राक्ष्य के पर कार पर प्रदेशिक हुंकार कराना राजन रहे हैं। हा कार्य पर कार्य करती के अनुसार कराता **भववीय** SALMEN BALLE सहायकं/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त mannessa antique in the second of the ingression of 1. कर्मचारी भविष्य निधि रकीम, कर्मचारी कृदुम्ब पेंशन रकीम, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा रकीम को लागू करने से संबंधित निदेश! 2. लेखा संख्या अलाट करने से संबंधित निदेश कि के अवस्था कराय कराय कराय कराय है 3. पूर्व भविष्य निधि राशि और प्रतिभृतियों को हरतांतरित करने संबंधित निदेश। १०७५८ विकास 4. कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान, कुटुम्ब पेंशन अंशदान, निक्षेप बीमा अंशदान की संगणना से संबंधित रेडी and the construction of the majoral for the property to release a political or section of actions. 5. फार्म 5-क (तीन प्रतियों में)। प्रतिलिपि : 1. श्री/श्रीमती......भविष्य निधि निरीक्षक को अनुपालन निश्चित करने के प्रेषित की जाती है। उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि स्थापना के संबंधित फार्म 5-क की दो प्रतिया स्थापना से प्राप्त करें। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे के.भ.नि.आ. के परिपन्न सं. इ-72/11(28)80/पीएन दिनांक 6.6.1981 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार 45 दिन के भीतर कवरेज का रथायी करें। 2. लेखा अनुभाग, उपक्षेत्रीय कार्यालय........................./यह समझा जाता है कि इस फैक्टरी/स्थापना के पास भविष्य निधि से संबंधित ऐसी राशि उपलब्ध नहीं है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि को अंतरित किया जाना है इसे ग्रुप द्वारा रखे जा रहे अंशदान रजिस्टर में आवश्यक अभ्युथ्कतुयों के साथ नोट किया जाए)। CRACLE OF BUILDING BUTCHES SON 3. प्रवर्तन शाखाः व्यक्ति । व्यक्ति । व्यक्ति । 4. फाइल संo इ/डीएल/